समाचार

नोवल कोरोना वायरस

सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लोग सड़कों पर न घूमें, भीड़ एकत्रित न हों, सुनिश्चित कराएं–आयुक्त

(जिला कोर कमेटी की बैठक के बाद आयुक्त श्री राहुल देव ने ली जोन कमिश्नरों की बैठक, प्रत्येक बीट में वृहद अभियान जारी रखने के दिए निर्देश)

कोरबा 25 मार्च 2020 –आयुक्त श्री राहुल देव ने जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व नियंत्रण हेतु जारी लाकडाउन के दौरान लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, वे सड़क व बाजार में न घूमें, भीड़ एकत्रित न हों, केवल अत्यावश्यक सामग्री, दवा क्रय के लिए ही बाहर आएं, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित कराएं। उन्होने निर्देश दिए कि प्रत्येक बीट में चलाए जा रहे वृहद अभियान को निरंतर जारी रखें, समस्त अधिकारी कर्मचारी सतर्क व सजग रहें, सेनेटाईजेशन का कार्य निरंतर चलाएं तथा बड़े सब्जी बाजारों को विकेन्द्रित यह सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी पांच से ज्यादा सब्जी दुकानें एक साथ संचालित न हों।

नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 के संक्रमण से बचाव व उसके नियंत्रण हेतु महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद, कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल व आयुक्त श्री राहुल देव के मार्गदर्शन में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के साथ–साथ प्रतिबंधात्मक आदेशों का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। निगम क्षेत्र को 20 बीटों में बांटकर प्रत्येक बीट में बचाव व नियंत्रण से संबंधित वृहद अभियान संचालित कराए जा रहे हैं। आज जिला कोर कमेटी की बैठक के पश्चात आयुक्त श्री राहुल देव ने अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा के साथ सभी जोन कमिश्नरों की बैठक लेकर कार्यो की समीक्षा की तथा कोर कमेटी में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

सुबह 10 से दोपहर 01 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें– आयुक्त श्री राहुल देव ने जोन कमिश्नरों से कहा कि कोर कमेटी में लिए गए निर्णय अनुसार 26 मार्च से साग–सब्जी, किराना आदि का ऐसी दुकानें जिन्हें खोलने की छूट दी गई है, वे प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक ही खुली रहेंगी, अतः समस्त जोन कमिश्नर अपने–अपने जोन व बीट में इसका अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराएं, जो दुकानदार इसका उल्लंघन करें, उस पर जुर्माना लगाएं तथा पुलिस की सहायता लें एवं दोबारा ऐसा करने पर दुकान को सील करने की कार्यवाही करें, जबकि दवा दुकानों हेतु खुलने का समय पूर्ववत रहेगा।

अत्यावश्यक सामग्री दवा क्रय हेतु एक परिवार से एक ही व्यक्ति–सब्जी, साग, किराना, दूध, दवा जैसी अत्यावश्यक सामग्रियों की खरीदी हेतु निर्धारित समय में एक परिवार से एक ही व्यक्ति घर से बाहर जाएंगा तथा सामग्री क्रय कर सीधे घर वापस आएगा, बाजार में अनावश्यक घूमने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, लोगों से कहा गया है कि वह तीन–चार दिन की सब्जी एक साथ लें ताकि प्रतिदिन घर से बाहर न निकलना पड़े। निगम द्वारा घर पहुंच सेवा चालू की गई है, जो व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहते है वे इस विकल्प को चुन सकते हैं, घर पहुंच सेवा में निःशक्त, बुजुर्ग, महिला या अन्य जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, घर पहुंच सेवा सुबह 10 बजे से रात्रि 09 बजे तक रहेगी। घर पहुंच सेवा हेतु निगम के कोरबा जोन अंतर्गत मोबाईल नम्बर 79749–93846, परिवहन नगर जोन हेतु मोबाईल नम्बर 74707–05767, कोसाबाड़ी जोन हेतु मोबाईल नम्बर 62662–07670 तथा पं.रविशंकर शुक्ल जोन हेतु मोबाईल नम्बर 91317–29019 में सूचित किया जा सकता है।

बड़े सब्जी बाजारों को विकेन्द्रित करें–आयुक्त श्री देव ने जोन कमिश्नरों से कहा कि निगम क्षेत्र में लगने वाले सभी बड़े सब्जी बाजारों को विकेन्द्रित कर उनके लिए निर्धारित स्थानों पर दुकानें लगवाएं तथा यह देखें कि किसी भी एक स्थान पर पांच से अधिक सब्जी दुकानें न लगी हो, ताकि सब्जी दुकानों पर भीड़ एकत्रित न होने पाएं, विभिन्न बाजारों के विकेन्द्रीकरण हेतु चयनित स्थल के संबंध में जारी आदेश के अनुसार बुधवारी बाजार के सब्जी विक्रेताओं के लिए जैन मंदिर चौक, महाराणा प्रताप चौक, सुलभ काम्पलेक्स के पास, अप्पू गार्डन, सी.एस.ई.बी. सीनियर क्लब के पास, घंटाघर ओपन थियेटर आडिटोरियम, व्ही.आई.पी.रोड स्थित सी. एस.ई.बी स्कूल के पास, निगम कालोनी स्थित मनोरंजनगृह मैदान में स्थल चयन किया गया है। इसी प्रकार मुड़पार बाजार हेतु संकटमोचन हनुमान मंदिर के पास दांये भाग की ओर तथा बांये भाग की ओर, कृष्णानगर मैदान, सुभाष ब्लाक अंतर्गत थाने के पास, रविशंकर शुक्लनगर शिव मंदिर के पास स्थल चयन किया गया है। इसी प्रकार इतवारी एवं गुरूवारी बाजार हेतु जुम्मा सेट घर के सामने, मोती आलू वाले घर के पीछे, बंटी स्टोर के पीछे, नवनिर्मित फ्रुट मार्केट, कमला नेहरू महाविद्यालय के सामने, संजयनगर रेलवे क्रांसिंग आदि स्थल चयनित किए गए हैं। इसी प्रकार इतवारी दर्री बाजार के सब्जी विक्रेताओं हेतु निगम दुकानों के पास, मछली पसरा, पीपल पसरा तथा बालको परसाभांठा बाजार के सब्जी विक्रेताओं के लिए पुराना मवेशी बाजार, केंवट घर के पास, बाजार मुख्य मार्ग रोड, बाजार का कालोनी रोड, सुतर्रा रोड बस्ती, कालोनी टाईप के पास, स्टेट बैंक मैदान तथा दशहरा मैदान में स्थल चिहांकित किए गए हैं।

विदेश या देश के अन्य प्रदेशों व शहरों से आने वालों पर नजर–आयुक्त श्री राहुल देव ने जोन कमिश्नरों से कहा है कि वे विदेश से या भारत के अन्य प्रदेशों शहरों से कोरबा आने वाले लोगों पर नजर रखें, पता चलने पर उसकी सूचना जिला व पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को दें तथा इसकी दैनिक रिपोर्ट निगम के मुख्य कार्यालय साकेत में प्रतिदिन प्रस्तुत करें। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के निर्देशानुसार बेघरों, भिक्षुओं व मानसिक रोगियों की पहचान व खोज कर उनकी भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि लाकडाउन के दौरान इन्हें भूखा न रहना पड़े।

दुकानों के सामने बनाए गए चूने के गोल घेरे– शहर की अत्यावश्यक सामग्रियों से संबंधित ऐसी दुकानें जिन्हें खोलने की छूट दी गई हैं, उन दुकानों के सामने निगम अमले द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुशासन बनाए रखने के लिए चूने के गोल घेरे निर्धारित दूरी पर बनाए गए हैं, सामग्री क्रय करने हेतु आने वाले लोग निश्चित दूरी पर बने इन गोल घेरों में खड़े होते हैं तथा क्रमशः अपनी बारी आने पर सामग्री का क्रय करते हैं, इससे सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज हो रही है।

सार्वजनिक स्थानों का सेनेटाईजेंशन जारी– निगम द्वारा निगम क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, शासकीय कार्यालयों तथा ज्यादा आवागमन वाले क्षेत्रों को सेनेटाईज किया जा रहा है, इसी कड़ी में आज वृद्धाश्रम, सर्वमंगला मंदिर के आसपास व परिसर, अग्रसेन भवन, मोतीसागरपारा मुक्तिधाम क्षेत्र, पेट्रोल पम्पों, सी.एस.ई.बी. रेस्ट हाउस, पुलिस चौकी, रैनबसेरा सहित अन्य विभिन्न सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाईज किया गया। इसके साथ ही 12 वार्डो में कीटनाशक दवाओं व ब्लीचिंग पाउण्डर की छिड़काव कराया गया, वहीं 05 वार्डो में फागिंग मशीन संचालित कराई गई।